



## पंचदश बिहार विधान सभा

### चतुर्दश सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 03.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सोने लाल हेम्ब्रम, स०वि०स० श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री ज्ञानचन्द मांझी, स०वि०स० श्री परमानन्द ऋषिदेव, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री अमरनाथ गामी, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, स०वि०स० श्री भोला राय, स०वि०स०	<p>"भारतीय संविधान की 92वां संशोधन अधिनियम, 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में संथाली, मैथिली भाषा को सम्मिलित किया गया है। संशोधन के फलस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय भाषा विषय के रूप में भी उक्त दोनों भाषा को शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार संशोधन के फलस्वरूप मैथिली भाषा साहित्य को बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कर लिया गया, परन्तु संथाली भाषा साहित्य को राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा की सूची में शामिल अभी तक नहीं किया है, जिसके कारण संथाली भाषा को जानने वाले प्रतियोगी इस लाभ से वंचित हैं।</p> <p>अतः संथाली भाषा साहित्य को बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा के विषय में शामिल करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"</p>	सामान्य प्रशासन

1	2	3	4
2.	श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, संविंस० श्री मंजीत कुमार सिंह, संविंस० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, संविंस० श्री अब्दुल गफूर, संविंस० डा० रामानन्द यादव, संविंस० श्री सदानन्द सिंह, संविंस०	“जनसंख्या में वृद्धि के कारण राज्य में दसवीं उत्तीर्ण होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इस बार लगभग 12 लाख विद्यार्थी दसवीं उत्तीर्ण हुए जिन्हें इंटरमीडियेट में नामांकन लेना था, परंतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक) द्वारा राज्य सरकार से आदेश प्राप्त करके सीटों में कटौती कर दी गयी। अंगीभूत कॉलेजों में 640 सीट स्वीकृत थे, उसे घटाकर 572 कर दिया गया तथा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्वीकृत 640 सीटों को घटाकर 384 कर दिया गया। इस तरह से 25 प्रतिशत से अधिक सीटों में कटौती कर दी गयी। इस कटौती से राज्य के विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है। गरीब विद्यार्थी जो राज्य से बाहर नहीं जा सकते हैं, वे नामांकन हेतु दर-दर टोकर खा रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक) के इस कदम से नामांकन में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से बढ़ा है। अतः इंटरमीडियेट के सीटों की संख्या में कटौती की जांच करायकर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”	शिक्षा

हरेराम मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/14- 961

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 02 जुलाई, 2014 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाभिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/14- 961

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 02 जुलाई, 2014 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

  
(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

